



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in



NHAI/RO/NAG/UT-436/NH-53/Electric/2024-25/2372

Date: 14.02.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Tarsod-Fagne (Package-IIB) section of NH-53 from km 422.700 to km 510.000 in the State of Maharashtra to be executed on HAM Mode-
Submission of proposal for the permission for installation of 33 KV HT XLPE cable for one number National Highway no. 6 crossing or proposed 33 KV Takarkheda Feeder of Dharangaon Division under AIB scheme -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Jalgaon letter no. 155 dated 04.02.2025.
2. M/s MSEDCL, Dharangaon Div. letter no 246 dated 06.01.2025.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL for subject section is as follows:

- Laying from km 444.465 to 444.465. (crossing)

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No. RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 22.11.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

Akash
14/02/25
(Akash Chouksey)
Manager (Tech.)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-436/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2024-25/ 2372 दिनांक: 14.02.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 के तरसोद-फागने (पैकेज-IIबी) खंड को किमी 422.700 से किमी 510.000 तक चार लेन का बनाने का कार्य एचएएम मोड पर किया जाना है - एआईआईबी योजना के तहत धरणगांव डिवीजन के एक नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 क्रॉसिंग या प्रस्तावित 33 केवी टाकरखेड़ा फीडर के लिए 33 केवी एचटी एक्सएलपीई केबल की स्थापना की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत.

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू जलगांव पत्र क्रमांक 155 दिनांक 04.02.2025.
2. मेसर्स एमएसईडीसीएल, धरणगांव डिवीजन पत्र संख्या 246 दिनांक 06.01.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमएसईडीसीएल द्वारा विषय अनुभाग के लिए प्रस्तावित संरेखण निम्नानुसार है:

- किमी 444.465 से 444.465 तक बिछाया गया। (क्रॉसिंग)

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपतियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 22.11.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपतियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपतियाँ/टिप्पणियाँ सार्वजनिक टिप्पणियाँ जारी होने से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपतियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org

(Handwritten Signature)
14/02/25
(आकाश चौकसे),
प्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mhaas@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075